

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ  
पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 45 / 2022

उनवान

1. श्रीमती गीता देवी पत्नि श्री नारायण भील नि० कलुन्दिया तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

—प्रार्थी

बनाम

1. रतन लाल पुत्र कन्हैया लाल नि० कलुन्दिया तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. अम्बा लाल पुत्र हीरा लाल जाट नि० कलुन्दिया तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
3. केलाशचन्द्र पुत्र हीरा लाल जाट नि० कलुन्दिया तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
4. कालु पुत्र हीरा लाल जाट नि० कलुन्दिया तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
5. मगना पुत्र कजोड रेगर नि० कलुन्दिया तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
6. श्रवण भील पुत्र छोगा भील नि० कलुन्दिया तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
7. भैरू लाल पुत्र मोहन लाल भील नि० कलुन्दिया तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
8. रामचन्द्र पुत्र उकार भील नि० कलुन्दिया तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
9. श्रीमती हरकु पत्नि डुंगा रेगर नि० पीपली तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
10. गीता पत्नि श्री गिराराज भाम्पी नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

---अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
निर्णय दिनांक 28.03.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 18.04.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कलुन्दिया प.ह. पीपली भू०अभि०नि० क्षेत्र मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 72 की कृषि भूमि की आ०न० 1307/588 रकबा 1.1760 है०, आ०न० 588 रकबा 0.7587 है०, कुल किता 02 कुल रकबा 1.9347 है० भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीय के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 21.04.2022 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 से 10 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते हैं ग्राम कलुन्दिया प.ह. पीपली भू०अभि०नि० क्षेत्र मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 72 की कृषि भूमि की आ०न० 1307/588 रकबा 1.1760 है०, आ०न० 588 रकबा 0.7587 है०, कुल किता 02 कुल रकबा 1.9347 है० जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 800/-रु० पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करे।

आदेश आज दिनांक 28.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फौसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।



(अजीत सिंह राठौड)  
उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ (राज.)  
हमीरगढ